भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1691

10 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

गरीबों के लिए खाद्यान्न का वितरण

1691. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गरीबों के लिए आवंटित अनाज सभी राज्यों में समय पर वितरित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा बिहार सहित देश में गरीबों के लिए आवंटित इस खाद्यान्न के भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में गोदाम बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत होता है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निर्दिष्ट डिपो तक उनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन , पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियाँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं।

(ख) और (ग): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालन और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के उपरांत मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडारण करता है।

बिहार एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करती है। आवश्यकता से कम खरीद के कारण होने वाली कमी, यदि कोई हो, को स्टॉक की आपूर्ति करके या अतिरिक्त खरीद करके पूरा किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त स्टॉक को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है।

...2/-

दिनांक 01.11.2025 तक, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई के पास 13.43 लाख टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता (स्वामित्व वाली - 3.45 लाख टन और किराए पर ली गई - 9.99 लाख टन) उपलब्ध है और बिहार में राज्य एजेंसियों के पास 10.13 लाख टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता है।

भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्यतः चावल और गेहूँ के लिए खरीद के स्तर, बफर मानकों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालन पर निर्भर करती है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भंडारण क्षमता का निरंतर मूल्यांकन और निगरानी करता है और भंडारण कमी के आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएँ सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
7. कवर्ड एंड प्लिंथ (सीएपी) हायरिंग स्कीम -2025
8. पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ संशोधित पीईजी योजना

वर्तमान में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) बिहार राज्य में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है:-

1. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना

एनएफएसए अधिनियम 2013 के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी की ज़िम्मेदारी, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, और उनकी अपनी योजनाओं के अनुसार, अपने राज्य में लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। इसलिए, लक्षित लाभार्थियों को खाद्यान्न का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाए रखना संबंधित राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है।

*****